छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2011 सत्र

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2011

तारांकित प्रश्नोत्तर

कोरबा जिले में निर्माणाधीन विद्युत संयंत्र

1. (*क्र. 1044) **श्री बोधराम कंवर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरबा जिले में वर्तमान में कितने और कौन-कौन से विद्युत संयंत्रों की निर्माण कार्य जारी है और कितने विद्युत संयंत्र प्रस्तावित हैं ? (ख) प्रत्येक की उत्पादन क्षमता, लागत एवं कहां-कहां प्रस्तावित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्तमान में कोरबा जिले में निर्माणाधीन 09 संयंत्रों (परियोजनाओं) तथा प्रस्तावित 08 संयंत्रों (परियोजनाओं) की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश (क) के अंतर्गत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता, स्थान एवं अनुमानित लागत की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है.

प्रदेश में संचालित बाल श्रमिक विद्यालय

2. (*क्र. 450) **श्री संतोष बाफना** : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने-कितने बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं ? (ख) बाल श्रमिक विद्यालयों के लिये शासन द्वारा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष कितनी राशि दिये जाने का प्रावधान है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश में कुल 08 जिलों में बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं. जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्कूलों की संख्या (3)
1.	कोरबा	15
2.	बिलासपुर	29
3.	राजनांदगांव	22
4.	सरगुजा	24
5.	रायपुर	103
6.	दुर्ग	40
7.	रायगढ़	20
8.	जांजगीर-चांपा	08
	कुल	261

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत बाल श्रम शालाओं में अध्ययनरत् बच्चों के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रतिवर्ष प्रति बालक 1200/- रुपये की छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है.

---

† परिशिष्ट "एक"

जिला रायगढ़ एवं जशपुर में मवेशी खरीदी हेतु जारी निविदा

3. (*क्र. 1742) **श्री नंदकुमार पटेल :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ एवं जशपुर जिला में जनवरी 2010 से दिसंबर 2010 तक बी.पी.एल. परिवार के कुल कितने सदस्यों को मवेशी वितरण की गई ? (ख) क्या मवेशी खरीदी हेतु निविदा जारी की गई ? यदि हां, तो जशपुर एवं रायगढ़ जिला में मवेशी खरीदी हेतु कब-कब निविदा जारी की गई ? (ग) क्या जशपुर जिला में परियोजना सलाहकार मण्डल द्वारा भूमि सुधार हेतु स्वीकृत केन्द्रीय सहायता राशि को बैलजोड़ी वितरण हेतु व्यय करने का निर्णय लिया गया ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि इस मद से व्यय की गई है ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) कुल 384 बी.पी.एल. परिवारों को मवेशी वितरण किया गया है. (ख) जी हां. विभाग द्वारा मवेशी खरीदी हेतु संचालनालय स्तर पर निविदा जारी की गयी. जशपुर एवं रायगढ़ जिला में मवेशी खरीदी हेतु पृथक से निविदा जारी नहीं की गयी. (ग) जी हां. कुल राशि रु. 45,85,487.00 उक्त मद से व्यय की गयी है.

प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण

4. (*क्र. 273) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ? (ख) वर्तमान में किस वर्ष तक के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है ? शेष कब तक नियमित किये जायेंगे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 12-1/2007/1-3, दिनांक 05 मार्च, 2008 द्वारा दिनांक 31-12-1988 के पूर्व नियुक्त एवं दिनांक 01-01-1989 से दिनांक 31-12-1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उक्त परिपत्र की कंडिका-2 में नियमितीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड उल्लिखित हैं. परिपत्र की छायाप्रति † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) वर्तमान में दिनांक 31-12-1997 तक नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया गया है. शेष के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

रायगढ़ जिले में खनिज पदार्थों से प्राप्त रायल्टी

5. (*क्र. 918) **श्री हृदयराम राठिया :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ? (ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक क्रेशर उद्योग हेतु कितने पत्थर खदान लीज में दिए गए ? नाम सहित, पतावार जानकारी देवें ? कितनी राशि की रायल्टी प्राप्त हुई ? (ग) कितने खदान मालिक से रायल्टी अप्राप्त है ? उनके ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में खनिज कोयला, चूनापत्थर, क्वार्ट्ज़/क्वार्टजाइट, डोलोमाइट तथा फायरक्ले उपलब्ध है. रायगढ़ जिले में फ्लोराईट की भी अल्प मात्रा में उपस्थिति चिन्हित की गई है. जिले में गौण खनिज यथा चूनापत्थर, पत्थर, ग्रेनाइट, फ्लेगस्टोन, मुरूम, रेत भी उपलब्ध है. (ख) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009 से 31-01-2011 तक क्रेशर उद्योग हेतु 09 पत्थर खदान लीज में दिए गये हैं. लीजधारियों के नाम व पता तथा पत्थर खदानों से प्राप्त रायल्टी की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ग) अग्रिम रायल्टी जमा कर लीजधारियों द्वारा खनिज का परिवहन किया जाता है अत: किसी लीजधारी के ऊपर कोई रायल्टी बकाया नहीं है. रायल्टी बकाया नहीं होने से खदान मालिकों के ऊपर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नि:शुल्क गाय एवं बैल वितरण से लाभान्वित हितग्राही

6. (*क्र. 408) **श्रीमती अंबिका मरकाम :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के आदिवासी परिवारों को नि:शुल्क गाय, बैल, बकरा वितरण की योजना अंतर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र में 2009 से 31-01-2011 तक कुल कितनी गाय एवं बैल का वितरण किया गया है ? वर्षवार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या देवें ? (ख) नि:शुल्क वितरित गाय, बैल, बकरे में से कितने जीवित तथा कितने मृत हो चुके हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) प्रदेश के आदिवासी परिवारों को नि:शुल्क गाय, बैल, बकरा वितरण की योजनांतर्गत सिहावा विधान सभा क्षेत्र में 2009 से 31-01-2011 तक नि:शुल्क गाय, बैल, बकरा का वितरण नहीं किया गया. (ख) निरंक.

---

† परिशिष्ट "दो"   †† परिशिष्ट "तीन"

विधान सभा क्षेत्र कसडोल में हेण्डपंप खनन की स्थिति

7. (*क्र. 1975) **श्री राजकमल सिंघानिया :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत किन-किन गांवों में हेण्डपंप खनन की स्वीकृति हुई है, एवं कहां-कहां प्रस्तावित है ? कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है ? कितने-कितने कार्य पूर्ण हो गये एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण का कारण गांव के नाम सहित जानकारी देवें.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर.आई. सर्किल लवन अंतर्गत स्वीकृत हैण्डपंप खनन कार्य की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में दर्शित अनुसार. प्रस्तावित हैण्डपंपों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" में दर्शित अनुसार. कार्यों की अद्यतन स्थिति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में दर्शित अनुसार. कार्य पूर्ण एवं अपूर्ण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में दर्शित अनुसार. अपूर्ण कार्य का कारण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में दर्शित अनुसार.

विभाग द्वारा बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

8. (*क्र. 707) **डॉ. शिवकुमार डहरिया :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा एवं रायपुर जिला के बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत जनवरी, 2008 से दिसंबर, 2010 तक अनु. जाति विकास योजना के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं ? कार्यों के अपूर्ण होने का क्या-क्या कारण है ? उक्त वर्षवार कार्यों के नाम विकासखंडवार ग्रामों के नाम सहित बतावें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के कॉलम 6, 7 एवं 8 पर दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रदाय

9. (*क्र. 993) **महंत रामसुन्दर दास :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चांपा के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि में विकासखण्डवार, वर्षवार विद्यार्थियों को कितनी-कितनी छात्रवृत्ति अप्राप्त है ? विकासखण्डवार पृथक-पृथक बतावें ? (ख) उक्त पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति कब तक प्रदान कर दी जावेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2009-10 के केवल उ.मा. शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग 532 विद्यार्थियों को रुपये 9,61,239/- की छात्रवृत्ति अप्राप्त है. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

(राशि रुपयों में)

वर्ष	छात्रवृत्ति का प्रकार	वर्ग	विकासखंड का नाम	अप्राप्त छात्रवृत्ति का विवरण	
				संख्या	राशि
2009-10	पो. मै. छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति	पामगढ़	247	4,78,750/-
			अकलतरा	16	25,600/-
			बलौदा	203	3,71,840/-
			बम्हनीडीह	42	43,449/-
			मालखरौदा	20	33,870/-
			जैजैपुर	04	7,730/-
			योग	**532**	**9,61,239/-**

वर्ष 2010-11 की छात्रवृत्ति के वितरण की कार्यवाही जारी है. (ख) यथाशीघ्र, छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया जारी है.

रायगढ़ जिला में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

10. (*क्र. 298) **श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में कहां-कहां कितनी क्षमता वाले विद्युत संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु एम.ओ.यू. किन-किन के साथ किया गया है और किनके द्वारा लगाये जा रहे हैं ? कितने विद्युत संयंत्रों को स्थापित किये जाने हेतु पर्यावरण विभाग की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ? (ख) कितने संयंत्रों को पर्यावरण विभाग की स्वीकृति अप्राप्त है, किन्तु निर्माण कार्य जारी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) निवेशक के साथ सम्पादित एम.ओ.यू. में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना स्थल का लेख नहीं रहता. लेकिन निवेशक द्वारा परियोजना स्थल का चयन कर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर चयनित स्थल पर परियोजना की स्थापना करने की प्रक्रिया है. वर्तमान में रायगढ़ जिले में प्रस्तावित 21 ताप विद्युत परियोजनाओं की क्षमता, पर्यावरण अनुमति की अद्यतन स्थिति † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) वर्तमान में रायगढ़ जिले में पर्यावरण अनुमति के बिना किसी भी ताप विद्युत परियोजना का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है.

सरगुजा जिले में पावर प्लांट की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति

11. (*क्र. 1096) **श्री टी. एस. सिंहदेव :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सरगुजा जिले में पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो किस स्थान पर ? पावर प्लांट के द्वारा कितनी भूमि की मांग शासन से की गई है ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्न "क" अनुसार उदयपुर विकासखण्ड में कृषकों की निजी भूमि की भी खरीदी की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले में चार ताप विद्युत प्लांट यथा इफको पावर प्लांट द्वारा ग्राम-सलका तहसील प्रेमनगर एवं अदानी पावर प्लांट द्वारा ग्राम परसा तहसील उदयपुर तथा पॉवर फाईनेन्स कार्पोरेशन द्वारा अल्ट्रामेगा परियोजना उदयपुर तहसील के ग्राम खम्हरिया व सलका आदि के समीप पावर प्लांट एवं भैयाथान पॉवर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. इफको पावर प्लांट हेतु कुल 752.48 हेक्टेयर भूमि एवं अदानी पावर प्लांट हेतु कुल 178.046 हेक्टेयर भूमि, भैयाथान पॉवर प्लांट हेतु 610.54 हेक्टेयर तथा अल्ट्रामेगा पॉवर प्लांट हेतु कुल 2,876.30 हेक्टेयर की मांग शासन से की गयी है. (ख) जी हां. उदयपुर विकासखण्ड के कृषकों की निजी भूमि की खरीदी पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु प्रस्तावित है. वर्तमान में उदयपुर विकासखण्ड के कृषकों की निजी भूमि की खरीदी संबंधी दस्तावेजों का पंजीयन किसी कंपनी द्वारा नहीं करायी गई है.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को प्रदत्त स्प्रिंकलर

12. (*क्र. 1970) **श्री भोलाराम साहू :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 18-02-2011 की स्थिति तक खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितने किसानों को कितने-कितने मूल्य के स्प्रिंकलर, कितने-कितने अनुदान पर प्रदान किए गए हैं ? प्रदान किए गए स्प्रिंकलर की कंपनी, संख्या, वास्तविक मूल्य एवं अनुदान राशिवार जानकारी प्रदान करें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : प्रश्नाधीन अवधि में कुल 176 किसानों को रु. 30,88,384 मूल्य के स्प्रिंकलर सेट वितरित कर रु. 19,36,252 अनुदान प्रदाय किये गये हैं. प्रदाय किये गये स्प्रिंकलर सेट की कंपनीवार संख्या, वास्तविक मूल्य एवं अनुदान राशि की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है.

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के स्वीकृत तथा रिक्त पद

13. (*क्र. 1812) **श्री धर्मजीत सिंह :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय कार्यरत हैं ? इनमें चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों पर कितने चिकित्सक कार्यरत हैं कितने पद रिक्त हैं ? (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय में 18 फरवरी, 2011 की स्थिति में पूर्णकालिक चिकित्सक कार्यरत नहीं हैं ?

---

† परिशिष्ट "चार"   †† परिशिष्ट "पांच"

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 208 पशु चिकित्सालय एवं 734 पशु औषधालय स्वीकृत हैं. इन 208 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ (चिकित्सक) के 229 पद तथा 734 पशु औषधालयों में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 734 पद स्वीकृत हैं, इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 192 पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ एवं 565 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी कार्यरत हैं तथा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 37 पद एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 169 पद रिक्त हैं. (ख) छत्तीसगढ़ प्रदेश के 34 पशु चिकित्सालय एवं 169 पशु औषधालय में 18 फरवरी, 2011 की स्थिति में पूर्णकालिक चिकित्सक कार्यरत नहीं है.

लम्बित कृषि पम्प कनेक्शन के विस्तार कार्य की पूर्णता संबंधी

14. (*क्र. 1917) **डॉ. शक्राजीत नायक :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से 31 जनवरी, 2011 तक छ.रा.वि.वि. कम्पनी मर्यादित, रायगढ़ के निर्माण संभाग, रायगढ़ (एस.टी.आर.ई.) में कितने कृषि पम्पों के विद्युतीकरण हेतु विस्तार कार्य पूर्ण किये गये और कितने विस्तार कार्य लम्बित हैं ? (ख) लम्बित होने के क्या कारण हैं तथा कार्य पूर्णता की सम्भावित तिथि क्या है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से 31 जनवरी, 2011 तक निर्माण संभाग (एस.टी.आर.ई.) रायगढ़ द्वारा कुल 7615 कृषि पम्पों के विद्युत विस्तार कार्य पूर्ण किये गये एवं 1223 पम्पों के विद्युत विस्तार के कार्य लंबित हैं. (ख) लंबित पम्प कनेक्शन हेतु संख्यावार कारण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. उक्त पम्पों के कार्य जून 2011 तक पूर्ण करने का प्रयास है.

दवाई/उपकरण की खरीदी में अनियिमतता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

15. (*क्र. 1983) **श्री दूजराम बौद्ध :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में विभाग द्वारा कौन-कौन से उपकरण/दवाईयां कितनी-कितनी लागत की खरीदी गई ? वर्षवार बतावें ? (ख) क्या खरीदी में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जांजगीर-जिले के उप संचालक कृषि द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में पामगढ़ विकासखण्ड में कोई कृषि यंत्र/पौध संरक्षण दवाईयां क्रय नहीं की गई. (ख) प्रश्नांश "क" परिपेक्ष्य में निरंक है.

बाल्को द्वारा बाक्साईट का उत्खनन

16. (*क्र. 1876) **श्री मोहम्मद अकबर :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बाल्को कोरबा द्वारा राज्य में कहां-कहां बाक्साईट की खदानें कितने क्षेत्र में कब से कब तक के लिए धारित की जा रही है ? खनिपट्टा किस नाम से है ? (ख) बाल्को द्वारा खदानवार वित्तीय वर्षवार 2004-05 से 2010-11 के माह जनवरी, 2011 तक कुल कितना-कितना बाक्साईट उत्खनन कर, कहां-कहां भेजा गया ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य में बाल्को कोरबा द्वारा धारित खनिपट्टों की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. खनिपट्टा मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा के नाम से है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

बसना विकासखण्ड अंतर्गत चयनित निर्मल ग्राम

17. (*क्र. 1937) **श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल कितने ग्रामों का निर्मल ग्राम हेतु चयन किया गया ? नाम सहित बतायें ? (ख) उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितने शौचालय निर्माण की स्वीकृति हुई ? ग्रामवार बतावें ? (ग) 17-02-2011 की स्थिति में कितने शौचालय निर्माण हुये ? क्या यह सत्य है कि उक्त संबंध में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

---

† परिशिष्ट "छ:" †† परिशिष्ट "सात"

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2009-10 में कुल 01 ग्राम गढ़फुलझर निर्मल ग्राम हेतु भारत शासन द्वारा चयनित किया गया. वर्ष 2010-11 हेतु जानकारी निरंक है. (ख) उक्त कार्य हेतु बसना विकासखण्ड के ग्राम गढ़फुलझर हेतु वर्ष 2009-10 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत कुल राशि रु. 4,30,510.00 स्वीकृत की गई तथा 386 बी.पी.एल. शौचालय, 04 शाला शौचालय, 01 आंगनबाड़ी शौचालय स्वीकृत हुए. (ग) 17-02-2011 की स्थिति में उत्तर "ख" में स्वीकृत समस्त शौचालय निर्माण पूर्ण है. उक्त शौचालय निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता.

प्रदेश के राजकोषीय घाटा के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत

18. (*क्र. 1787) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा क्या है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें. (ख) उक्त समयावधि में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत कम है ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें. (ग) प्रश्नांक "क" की समयावधि में पूंजीगत व्यय कितना हुआ ? वर्षवार बतायें.

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) एवं (ख) जानकारी निम्नानुसार है :—

(राशि रु. करोड़)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2008-09 (वास्तविक)	1026.66	1.10
2009-10 (वास्तविक)	1759.01	1.60
2010-11 (बजट अनुमान)	3180.03	2.45

(ग) जानकारी निम्नानुसार है :—

(राशि रु. करोड़)

वर्ष	पूंजीगत व्यय
2008-09 (वास्तविक)	2940.15
2009-10 (वास्तविक)	2744.92
2010-11 (बजट अनुमान)	4067.70

विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में प्रदत्त कृषि पंप कनेक्शन एवं लंबित आवेदन

19. (*क्र. 858) **श्री बैदूराम कश्यप** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में वर्ष 2008-09 से 2011 में दिनांक 31-01-2011 तक कुल कितने कृषि पंप कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं ? संबंधित कृषकों के विद्युत लाईन विस्तार हेतु कौन-कौन सी तिथि को कार्य आदेश जारी किए गए थे ? (ख) कार्य आदेश पश्चात् कितने कृषकों के पंप तक विद्युत लाईन का विस्तार कार्य लंबित है ? कब तक पूर्ण किए जावेंगे ? (ग) दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में कृषि पंप विद्युत कनेक्शन हेतु कुल कितने आवेदन लंबित हैं ? लंबित रहने का कारण बतावें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र चित्रकोट में वर्ष 2008-09 से 2011 में दिनांक 31-1-2011 तक कुल 130 कृषि पम्प कनेक्शन प्रदाय किए गये. उक्त 130 कृषकों की सूची एवं कार्यादेश की तिथि † संलग्न परिशिष्ट में दी गई है. (ख) दिनांक 31-01-2011 तक कार्यादेश जारी किये जाने के पश्चात् 35 कृषि पम्पों के विद्युत लाइनों के विस्तार कार्य लंबित हैं, जिन्हें जून 2011 तक पूर्ण किये जाने का प्रयास है. (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि तक 22 कृषि पम्पों के लिये विद्युत लाईनों के विस्तार कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं, परन्तु संबंधित कृषकों द्वारा अनिवार्य टेस्ट रिपोर्ट जमा नहीं करने के कारण उन्हें कनेक्शन नहीं दिये गये हैं तथा दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में कृषि पम्प कनेक्शन हेतु कुल 31 आवेदन संबंधी कृषकों द्वारा वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने के कारण लंबित है.

† परिशिष्ट "आठ"

जिला दुर्ग में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या तथा बकाया राशि की वसूली

20. (*क्र. 1828) **श्री रविन्द्र चौबे :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग जिले में 31-12-2010 की स्थिति में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है ? औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू एवं कृषि की पृथक-पृथक संख्या दी जाए ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित दिनांक को इन उपभोक्ताओं से कितनी-कितनी बकाया राशि वसूली के लिए शेष थी ? (ग) बकाया वसूली हेतु कितने उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए तथा कितनों के द्वारा राशि जमा की गई तथा उनके कनेक्शन पुन: जोड़े गए ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) दुर्ग जिले में 31-12-2010 की स्थिति में कुल 5,39,541 विद्युत उपभोक्ता हैं. उक्त में से 4,129 औद्योगिक, 38,086 व्यावसायिक, 4,40,711 घरेलू, 53,596 कृषि एवं 3019 अन्य विद्युत उपभोक्ता हैं. (ख) दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में औद्योगिक, व्यावसायिक, घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से क्रमश: रु. 94.98 लाख, रु. 176.70 लाख, रु. 619.88 लाख एवं रु. 209.77 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी. (ग) दिनांक 31-12-2010 की स्थिति में 49,847 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन बकाया राशि शेष होने के कारण काटे गये हैं, जिनमें से 16,342 उपभोक्ताओं द्वारा राशि जमा की गई तथा उनके कनेक्शन जोड़े गये.

आदिवासी परियोजना गरियाबंद अंतर्गत स्व सहायता एवं एन.जी.ओ. समूह को आवंटित कार्य

21. (*क्र. 1650) **श्री अमितेश शुक्ल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आदिवासी परियोजना गरियाबंद के अंतर्गत किन-किन स्व सहायता एवं एन.जी.ओ. समूह को कौन-कौन से कार्य और कितने लागत के वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं चालू वर्ष में दिये गये ? (ख) कंडिका "क" के स्व सहायता समूहों के चयन का मापदण्ड क्या है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) स्व सहायता समूहों को प्रश्नाधीन अवधि में कोई कार्य नहीं दिया गया है, एन.जी.ओ. को दिये गये कार्य की जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला सरगुजा में ए.डी.बी. द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र सह छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति

22. (*क्र. 1475) **डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला सरगुजा में एशियन डेव्हलपमेंट बैंक द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र सह छात्रावास के निर्माण हेतु कितनी राशि कब स्वीकृत की गई ? (ख) प्रशिक्षण सह छात्रावास का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया ? किस एजेन्सी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है ? कितना व्यय हो चुका है ? (ग) क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) जिला सरगुजा में कृषि विभाग को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रशिक्षण सह छात्रावास के लिए किसी प्रकार राशि प्राप्त नहीं हुई है. (ख) एवं (ग) "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

डी.पी.सी. के पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी

23. (*क्र. 1977) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में किन-किन जिलों में डी.पी.सी. के पदों पर संविदा नियुक्ति दी गई ? (ख) कंडिका "क" की योजना में डी.पी.सी. के पदों पर योग्यता के क्या मानदण्ड हैं ? क्या इसका पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या कंडिका "क" की योजना में डी.पी.सी. के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति के संबंध में जिला राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर में शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) वर्ष 2009-10 में जिला रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर, जशपुर, कोरिया, रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, महासमुंद, कबीरधाम, दंतेवाड़ा एवं वर्ष 2010-11 में जिला रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरिया, बीजापुर में नियुक्ति दी गई है. (ख) डी.पी.सी. के पदों पर योग्यता के मापदण्ड परिशिष्ट पर †† संलग्न है. मापदण्डों का पालन किया गया है. (ग) डी.पी.सी. के पद पर नियम विरुद्ध नियुक्ति की शिकायत जिला राजनांदगांव में प्राप्त हुई थी, शिकायत को जांच कर शिकायतकर्ता को सूचित किया गया है. जिला दुर्ग, रायपुर और बीजापुर में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

---

† परिशिष्ट "नौ" †† परिशिष्ट "दस"

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना के तहत् प्लांट लगाने हेतु प्रदत्त अनुमति

24. (*क्र. 538) **श्री सौरभ सिंह :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा योजना के तहत किन-किन शासकीय कम्पनियों और निजी कम्पनियों को कितनी लागत से कितनी क्षमता के प्लांट कहां पर लगाने की अनुमति कब दी गई है ? (ख) उत्पादन कितनी समयसीमा में चालू होगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन योजना के तहत किसी भी शासकीय कम्पनी को अनुमति नहीं दी गई है. इस योजना के अंतर्गत दो निजी कम्पनियों को छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनापत्ति प्रदान की गई है. लागत, क्षमता, स्थान, अनुमति दिनांक की जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) दोनों निजी इकाईयों को उत्पादन के लिये समय-सीमा 31 मार्च 2013 है.

जिला सरगुजा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत निष्पादित कार्य एवं व्यय राशि

25. (*क्र. 1692) **श्री रामदेव राम :** क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्यान विभाग सरगुजा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् सन् 2007 से मार्च 2010 तक शासन द्वारा कितनी स्वीकृति मिली ? किन-किन स्थानों में क्या-क्या काम कराए गए तथा किस-किस मद में राशि खर्च की गई ? पृथक-पृथक बतावें. (ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् कितने बोरवेल कराए गए और वर्तमान में स्थिति क्या है ? किसानों के नाम की सूची ग्रामवार बतायें.

कृषि मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) : (क) सरगुजा जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत वर्ष 2007-08 में राशि रु. 595.05 लाख वर्ष 2008-09 में राशि रु. 938.27 लाख तथा वर्ष 2009-10 में राशि रु. 835.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई. उक्त अवधि में वर्षवार, ग्रामवार, मदवार व्यय की गई राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 में उल्लेखित हैं. (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेख अनुसार प्रश्नावधि में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत कुल 591 बोरवेल खनित कराये गये, स्थापित कराये गये 487 सफल बोरवेलों से नियमित सिंचाई कार्य किया जा रहा है. लाभान्वित कृषकों की ग्रामवार एवं वर्षवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 पर है.

----

† परिशिष्ट "ग्यारह"

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ''एक''

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 1044) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

कोरबा जिले में निर्माणाधीन, प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों की क्षमता, स्थान व अनुमानित लागत का विवरण

क्र.	संस्था का नाम	क्षमता मेगावाट में	परियोजना स्थल	अनुमानित लागत करोड़ रुपये में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अ	**निर्माणाधीन संयंत्र (परियोजना)**			
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, रायपुर.	500	कोरबा पश्चिम हसदेव ताप विद्युत परियोजना अंतर्गत विस्तार इकाई.	3156
2.	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, हैदराबाद.	1920	ग्राम पथाडी	6480
3.	वंदना विद्युत लिमिटेड, रायपुर	540	ग्राम सलोरा	2500
4.	वंदना एनर्जी एण्ड स्टील्स लिमिटेड, रायपुर.	70	ग्राम धुरीखुर्द	240
5.	ए. सी. बी. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	30	ग्राम चाकाबुरा	102
6.	ए. सी. बी. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	270	ग्राम कसियापाली	1350
7.	एस. व्ही. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	63	ग्राम रेकी	200
8.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	1200	बाल्को नगर	5000
9.	स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, हैदराबाद.	100	ग्राम रतिजा	400
ब	**प्रस्तावित संयंत्र (परियोजना)**			
10.	लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, हैदराबाद.	1320	ग्राम पथाडी	5500
11.	एस. व्ही. पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	63	ग्राम रेकी	200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	मारूति क्लीन कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर.	300	ग्राम बंदाखार	1100
13.	सोलर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नागपुर.	250	ग्राम कापूबहरा एवं जुराली	900
14.	धीरू पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद.	1050	ग्राम धनरास	4000
15.	ए. टी. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, रायपुर.	50	ग्राम फरसवानी	150
16.	स्वास्तिक पॉवर एण्ड मिनरलस (प्रा.) लिमिटेड, कोरबा.	100	ग्राम कनेबरी	450
17.	ए. सी. बी. (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	1200	ग्राम कटसिरा दर्री जिला कोरबा व ग्राम हैडसपुर जिला जांजगीर-चांपा.	5000

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 273) के (क) भाग की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्र. एफ 12-1/2007/1-3 रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़.

विषय :- दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण बाबत्.

(अ) दिनांक 31-12-1988 के पूर्ण के दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितिकरण :-

राज्य शासन द्वारा दिनाक 31-12-1988 के पूर्व नियुक्त उपरोक्त श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिये परिपत्र क्र. 16/11/88/1/वेआप्र/89 दिनांक 9 जनवरी 1990 तथा बाद में भी योग्य निर्देश प्रसारित किये गये हैं. सुलभ संदर्भ हेतु प्रतियां संलग्न हैं. उक्त परिपत्रों अनुसार दिनांक 31-12-1988 तक के दैनिक वेतन भोगी अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा में पदों की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें नियमित स्थापना में नियुक्ति दी जाय और नियमित स्थापना में पद उपलब्ध न हो तो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद सृजित किये जाने की कार्यवाही की जाय. अत: दिनांक 31-12-1988 तक के दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में उक्त परिपत्रों में दिये गये प्रावधान अनुसार नियमितिकरण की कार्यवाही की जाय.

यह स्पष्ट किया जाता है कि अब कार्य विभागों में कार्यरत गेंगमेन/श्रमिक भी नियमितिकरण की परिधि में आवेंगे.

(ब) दिनांक 01-01-1989 से दिनांक 31-12-1997 तक की अवधि में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों का नियमितिकरण :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरुद्ध उमादेवी एवं अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. के प्रकरण में दिनांक 10-04-2006 को आदेश पारित कर यह सामान्य निर्देश दिया है कि केवल एक बार/एक समय के लिये 10 वर्षों या अधिक समय से नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/अस्थाई कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति (IRREGULAR APPOINTMENTS) को नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए.

2. उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों की नियमितिकरण की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

i) व्यक्ति, रिक्ति/स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध पदस्थ किया गया हो और विभागीय भरती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं रखता हो तो ही नियमित करने योग्य है.

ii) दैनिक वेतन पर, तदर्थ रूप से अथवा कलेक्टर दर पर (दैनिक वेतन पर) जब नियुक्ति हुई तब से अब तक उस पद की आवश्यकता रही है और आगे भी उस पद की आवश्यकता हो तो संबंधित पद के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को पदस्थ मानते हुए विचार किया जा सकेगा

iii) संबंधित व्यक्ति ने दैनिक वेतन भोगी (चाहे कलेक्टर दर पर) के रूप में अथवा तदर्थ रूप में दिनांक 31-12-1997 तक लगातार उसी पद पर या समकक्ष पद पर कार्य किया हो के संबंध में लगातार कार्य करना (सेवा देना) तब ही माना जायेगा यदि प्रत्येक वर्ष में कुल सेवा ब्रेक एक माह से अधिक की न हो. लगातार सेवा के लिये हड़ताल की अवधि सेवा में ब्रेक नहीं मानी जायेगी.

iv) दिनांक 31-12-1997 तक दैनिक वेतन पर अथवा तदर्थ नियुक्त एवं कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाय.

v) व्यक्ति यदि कार्यभारित पदों के विरुद्ध कार्यरत है तो कार्यभारित पद पर ही नियमित किया जाए नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हो तो नियमित पद पर ही नियमित किया जाए.

vi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 का पालन किया जावे अर्थात् दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ रूप में कार्यरत व्यक्ति जिस वर्ग से संबंधित है रोस्टर के अनुसार उसी बिंदु के समक्ष उसका नियमितिकरण किया जाये एवं रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के बिंदु यदि उम्मीदवार के अभाव में रिक्त रहते हैं तो भविष्य में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति आरक्षित बिंदुओं के लिये प्राथमिकता के आधार पर बैकलाग की पूर्ति की तरह की जायेगी.

vii) नियमितिकरण स्वीकृत एवं रिक्त पद पर ही किया जाएगा. इस हेतु जिन विभागों में आवश्यक हो वहां सांख्येतर पद निर्मित किये जायें. यदि पद ही कलेक्टर दर पर स्वीकृत हो तो स्वीकृत पदों (दैनिक वेतन पर) को नियमित वेतनमान में परिवर्तित (सृजित) करना होगा.

viii) परिपत्र जारी होने के बाद प्रशासकीय विभागों द्वारा नियमितिकरण के आदेश जिस दिन जारी किये जायेंगे उसी दिनांक से ही नियमित कर्मचारी माने जावेंगे. पूर्व के किसी दिनांक से नहीं. पदक्रम सूची में इनके नाम आपसी वरिष्ठता अनुसार एनब्लाक सबसे नीचे रखे जायेंगे.

ix) उपरोक्तानुसार नियमित रूप से नियुक्ति दी गई व्यक्तियों की आपसी वरिष्ठता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी/कलेक्टर दर पर, अथवा तदर्थ रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के आधार पर निर्धारित की जावेगी. वरिष्ठताक्रम निर्धारित करते समय यदि एक से अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक में नियुक्त किये गये हों तो उनमें से जो आयु में अधिक होगा उसे वरिष्ठ माना जायेगा.

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह उल्लेख है कि नियुक्ति "अवैध" न रही हो केवल "अनियमित" रही हो तभी नियमितिकरण के लिये विचार किया जा सकेगा. इस संबंध में अनियमित नियुक्तियां उन्हें माना जाये जिनमें नियुक्त व्यक्ति संबंधित पद के लिये सभी अर्हता रखता है परन्तु नियुक्ति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो. ऐसे व्यक्ति नियमितिकरण हेतु पात्रता रखेगा. परन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं है एवं उसे नियुक्त किया गया है तो ऐसी नियुक्ति अवैध नियुक्ति मानी जायेगी. किन्तु किसी व्यक्ति ने दिनांक 31-12-1997 से पूर्व अर्हता प्राप्त कर ली है एवं उक्त पद की अन्य शर्तों की पूर्ति करता हो तो उसे भी नियमित किया जायेगा.

4. नियमितिकरण की यह कार्यवाही केवल एक बार के लिये होगी.

5. भविष्य में जहां भी किसी पद की आवश्यकता लम्बे व अनिश्चित समय तक के लिये हो वहां पद कलेक्टर दर पर/दैनिक वेतन पर स्वीकृत नहीं किये जाएंगे. दैनिक वेतन/कलेक्टर दर पर उसी स्थिति में स्वीकृत किये जाएंगे जहां यह ज्ञात हो कि उस पद की आवश्यकता एक निश्चित अल्प अवधि के लिये हो और उसके बाद आवश्यकता नहीं होगी. भविष्य में दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/कलेक्टर दर पर अनियमित नियुक्तियां नहीं की जायेगी. इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है.

6. नियमितिकरण की उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था में अधिकतम आयुसीमा में छूट रहेगी. नियुक्ति के पूर्व प्रत्येक कर्मचारी से उसकी जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये, ताकि उसी के आधार पर उसकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जा सके.

7. शासन तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिये संबंधित विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक छानबीन समिति गठित की जायेगी, जिसमें संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव के मत में आवश्यक होने पर अन्य अधिकारियों को सदस्य रखा जायेगा. समिति द्वारा नियमितिकरण संबंधी निर्धारित सिद्धांतों/प्रावधानों के प्रकाश में प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण कर उचित अनुशंसा की जायेगी. इसी प्रकार कार्यालय प्रमुख स्तर से नियुक्त कर्मचारियों के लिये कार्यालय प्रमुख स्तर पर छानबीन समिति का गठन कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जायेगा. न्यायालय अथवा प्रशासनिक अभिकरण के आदेश से नियमित कर दिये गये व्यक्तियों/कर्मचारियों के प्रकरण इसमें सम्मिलित नहीं किये जावे. साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रश्नाधीन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जो ऊपर नीति/मापदण्ड उल्लेखित है उसकी परिधि में नहीं आने पर प्रकरण विचारणीय नहीं होंगे.

8. छानबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संबंधित पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी नियमितिकरण/नियुक्ति की कार्यवाही करेंगे. छानबीन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नियमितिकरण केवल अनियमित नियुक्तियों की ही की जावे, अवैध नियुक्तियों का नियमितिकरण नहीं किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(व्ही. के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. एफ 12-1/2007/1-3 रायपुर, दिनांक 05 मार्च, 2008

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाईंट, रायपुर,
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर,
5. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. सचिव, लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग, रायपुर,
7. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर,
8. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ. ग. शासन, रायपुर,
9. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
10. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर,
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
12. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
13. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
14. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
15. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष-9) सा. प्र. वि. को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 25 प्रतियों सहित प्रेषित.
16. एन. आई. सी. मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg. Nic.in/gad पर इन्द्राज हेतु प्रेषित.
17. समस्त अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

सही/-
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 918) के भाग (ख) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में क्रेशर उद्योग हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा की जानकारी

क्र.	पट्टेधारी का नाम पता	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण				उत्पादन की मात्रा (घन मी.)	जमा की गई रायल्टी की जानकारी	रिमार्क
			ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	अवधि			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	श्री जया प्रसाद चौहान पिता श्री जगसुन्दर चौहान, निवासी-गिण्डोला, तहसील खरसियां, जिला-रायगढ़.	पत्थर	झिंटीपाली	25 एवं 26	0.429	30-09-2009 से 29-09-2012	2624.82	270357=00	कार्यशील
2.	श्री विंकल मित्तल आत्मज श्री अशोक मित्तल निवासी लैलूंगा, तहसील लैलूंगा, जिला-रायगढ़.	पत्थर	जामबहार	534	1.850	03-09-2009 से 02-09-2014	0	0	भू-प्रवेश की कार्यवाही प्रचलित.
3.	श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल पति श्री विजय अग्रवाल निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़.	पत्थर	कंझारी	104/1	0.809	07-07-2010 से 30-06-2015	0	0	भू-प्रवेश की कार्यवाही प्रचलित.
4.	श्री विजय कुमार अग्रवाल आ. श्री जगतराम अग्रवाल निवासी पत्थलगांव जिला-जशपुर.	पत्थर	तेजपुर	330	2.000	19-11-2004 से 18-11-2009 (स्वीकृत) 19-11-2009 से 18-11-2014 (नवीनीकृत)	6018.89	332351=00	कार्यशील
5.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल आ. श्री लेखराम अग्रवाल निवासी गेरवानी, तहसील व जिला-रायगढ़.	पत्थर	गेरवानी	141	0.478	27-07-2010 से 26-07-2013	900.00	92700=00	कार्यशील
6.	श्री बोधराम गुप्ता आ. श्री टिकनू राम गुप्ता निवासी सराईपाली, तहसील तमनार, जिला-रायगढ़.	पत्थर	भुईकुरी	124/4	1.214	08-02-2010 से 07-02-2013	4367.47	449850=00	कार्यशील

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	श्री मोहन शर्मा आ. स्व. राम अवतार शर्मा निवासी गौशाला रोड रायगढ़.	पत्थर	गढ़कुर्री	221/3	0.809 .	01-12-2010 से 30-11-2013	150.00	15450=00	कार्यशील
8.	श्री घनश्याम पटेल आ. श्री कुंजराम पटेल निवासी डोंगीतराई जिला रायगढ़.	पत्थर	कांन्दागढ़	156	3.213	08-02-2010 से 07-02-2013	905.82	93300=00	कार्यशील
9.	श्री आंनद अग्रवाल आ. स्व. नरसिंह दास अग्रवाल निवासी पुराना सदर बाजार रायगढ़.	पत्थर	झिलगीटार	16/716/ 877/8	2.022	अनुबंध की कार्यवाही प्रचलित.	0	0	अनुबंध की कार्यवाही प्रचलित.

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 298) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में विभिन्न निवेशकों के साथ सम्पादित एम. ओ. यू. के अंतर्गत प्रस्तावित निजी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	निवेशक का नाम (2)	क्षमता (3)	चयनित स्थल (4)	पर्यावरण अनुमति की स्थिति (5)
1.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4 x 250 MW	तमनार	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
2.	मेसर्स ए. ई. एस. (इण्डिया) लिमि., गुड़गांव.	1200 MW	खम्हार, भोजपुर धरमजयगढ़.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
3.	मेसर्स पाटनी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई.	540 MW	गोर्रा	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
4.	मेसर्स टॉपवर्थ स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, मुंबई.	1200 MW	सपनैल	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
5.	मेसर्स कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली.	1200 MW	बड़े भण्डार, छोटे भण्डार, अमलीभौंना.	जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के अंतर्गत सम्मति 600 MW के लिये दी गई है.
6.	मेसर्स महावीर ग्लोबल कोल लिमि. नागपुर.	540 MW	भेंगारी व छाल	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	मेसर्स महावीर एनर्जी एण्ड कोल वेनिफिकेशन्स लिमि. बिलासपुर.	2 x 35 MW	भेंगारी व छाल	जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के अंतर्गत सम्मति 12 MW के लिये दी गई है.
8.	मेसर्स टी. आर. एन. एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली.	625 MW	भेंगारी एवं नवापारा.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) स्थापना अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के पालन में स्थापना सम्मति जारी.
9.	मेसर्स एस. के. एस. इस्पात एंड पावर लिमिटेड, मुंबई.	1800 MW	ग्राम बिंजकोट, बड़े जामपाली, दर्रामुड़ा, कुल्भाठा.	जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के अंतर्गत सम्मति 1200 MW के लिये दी गई है.
10.	मेसर्स वीसा पावर लिमिटेड, कोलकाता.	2 x 600 MW	किरिटमल	
11.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	1260 MW	सलिहाभाटा, तमनार.	
12.	मेसर्स जिन्दल इण्डिया थर्मल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4 x 600 MW	लोहाखान	
13.	मेसर्स जे. एस. डब्ल्यू. एनर्जी लिमि. मुवई.	1320 MW	सारूवानी ऊल्दा	
14.	मेसर्स सिंघल एनर्जी लिमिटेड, कोलकाता.	2 x 135 MW	तमनार	
15.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड, नई दिल्ली.	4 x 600 MW	तमनार, कसडोल, कुंजेमुड़ा, देवगांव.	
16.	मेसर्स गोदावरी पावर लिमि., रायपुर.	2 x 600 MW	नवापारा, चितपाली.	
17.	मेसर्स जायसवाल निको पावर लिमि., नागपुर.	300 MW	हमीरपुर, जोबरा.	
18.	मेसर्स जे. एल. डी. यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, नागपुर.	1215 MW	राजपुर, लैंलूंगा.	
19.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली.	4000 MW	लारा	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	मेसर्स श्याम इण्डस पॉवर सलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.	500 MW	शिवपुरी	
21.	मेसर्स शिवकोल बेनिफिकेशन्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर.	100 MW	शिवपुरी	

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1970) की जानकारी]

क्र.	कंपनी का नाम	कृषक संख्या			प्रदाय स्प्रिंकलर का कुल मूल्य राशि (रु. में)			अनुदान राशि (रु. में)		
		2009-10	2010-11	योग	2009-10	2010-11	योग	2009-10	2010-11	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आकाश इंडस्ट्रीज राजनांदगांव.	49	0	49	9,50,936	0	9,50,936	5,92,230	0	5,92,230
2.	ग्रीनगोल्ड इरिगेशन प्रा. लिमि., डोंगरगढ़.	96	9	105	15,79,153	1,79,748	17,58,901	9,62,029	1,21,960	10,83,989
3.	जैन इरिगेशन प्रा. लिमि., रायपुर.	6	1	7	99,073	13,710	1,12,783	65,773	9,597	75,370
4.	बली राम एंड संस राजनांदगांव.	0	4	4	0	75,332	75,332	0	60,264	60,264
5.	श्वेता इंटरप्राइजेस, रायपुर.	11	0	11	1,90,432	0	1,90,432	1,24,399	0	1,24,399
	योग	**162**	**14**	**176**	**28,19,594**	**2,68,790**	**30,88,384**	**17,44,431**	**1,91,821**	**19,36,252**

परिशिष्ट "छ:"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1917) के भाग (ख) की जानकारी]

दिनांक 31-01-2011 की स्थिति में निर्माण संभाग (एस. टी. आर. ई.) रायगढ़ में कृषि पम्प कनेक्शन लंबित रहने के संख्यावार कारण

क्रमांक (1)	कृषि पम्प कनेक्शनों की संख्या (2)	लंबित रहने का कारण (3)
1.	934	विस्तार कार्य प्रगति पर
2.	21	लाईन विस्तार अंतर्गत प्रभावित भूमि के भूस्वामियों की आपत्ति के कारण खम्भे लगाने के कार्य में रूकावट के कारण.
3.	44	खेत में फसल के कारण खम्भे लगाने को वर्तमान में स्थगित
4.	224	निविदा आमंत्रण प्रक्रियाधीन होने के कारण
कुल	1223	

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1876) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बाल्को द्वारा राज्य में धारित खनिपट्टों की जानकारी

क्र.	खनिपट्टेधारी का नाम व पता	खनिपट्टा का लोकेशन	जिला	रकबा (हेक्टर में)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	सेमसाटा, मुंडादादर, केशमर्दा, रब्दा तह. कबीरधाम.	कबीरधाम	626.117	20 वर्ष 27-03-97 से 26-3-2017
2.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा.	केसरा, कुदारीडीह, सपनादर तह. सीतापुर.	सरगुजा	639.139	20 वर्ष 9-7-92 से 8-7-2012

प्रपत्र "ब"

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) द्वारा उत्खनन कर भेजे गये खनिज बाक्साइट की जानकारी

क्र.	वर्ष	उत्पादन (मे. टन)	प्रेषित मात्रा (मे. टन)		योग
			बेदांता लांजीगढ़ (उड़ीसा) को	बाल्को, कोरबा को	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) जिला कबीरधाम					
1.	2004-2005	2719	2687	0.00	2687
2.	2005-2006	65338	62291	0.00	62291
3.	2006-2007	331929	330332	0.00	330332
4.	2007-2008	520146	446433	78046	524479
5.	2008-2009	300151	260637	39343	299980
6.	2009-2010	299980	300000	0.00	300000
7.	2010-2011 (जनवरी 2011 तक).	385350	3843689	0.00	384369
	योग	**1905613**	**5246069**	**117389**	**1904138**
(1) जिला सरगुजा					
1.	2004-2005	493420	0.00	509751	509751
2.	2005-2006	565290	0.00	561311	561311
3.	2006-0207	665495	0.00	668245	668245
4.	2007-2008	628984	0.00	629035	629035
5.	2008-2009	571423	10969	553547	564517
6.	2009-2010	486429	368335	121202	489537
7.	2010-2011 (जनवरी 2011 तक).	437439	437187	0.00	437186
	योग	**3848480**	**816491**	**3043091**	**3859582**

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 858) के भाग (क) की जानकारी]

चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को कृषि पम्प कनेक्शन हेतु जारी किये गये कार्यादेश की तिथि का वर्षवार विवरण

क्र. (1)	उपभोक्ता का नाम/पिता (2)	कार्यादेश तिथि (3)
	वर्ष 2008-09	
1.	श्री बोटी	14-11-07
2.	श्री रघु	14-11-07
3.	श्री भानु	14-11-07
4.	श्री सुनील गिरधर	11-12-07
5.	श्री जगरा	17-01-08
6.	श्री दिनश कुमार वर्मा	05-03-08
7.	श्री भागीरथी/मीना	05-03-08
8.	श्री बोटीराम/मंगलू	11-03-08
9.	श्री आयतु/मासा	11-03-08
10.	श्री डोगाराम/दसरू	11-03-08
11.	श्री कमलूराम/मिसिर	11-03-08
12.	श्री ढोलूराम/डोमुराम	27-03-08
13.	श्री बैदुराम/बुधरूराम	27-03-08
14.	श्री सोमारू/काना	16-05-08
15.	श्री नाडाराम/लक्ष्मण	16-05-08
16.	श्री बुधा राम	16-05-08
17.	श्री तिजु	16-05-08
18.	श्री सुखदेव	16-05-08
19.	श्री रमेश	16-05-08
20.	श्री नाडी	16-05-08
21.	श्री विश्वनाथ	16-05-08
22.	श्रीमती सुखदेई	16-05-08
23.	श्री श्याम सुंदर/दलसाय	16-05-08
24.	श्री अन्नतराम यादव	16-05-08
25.	श्री चेरगी/जग्गु	16-05-08
26.	श्री भदरू/बुधु	16-05-08
27.	श्री जगबंधु/लक्ष्मण	31-05-08
28.	श्री चंपेश्वर/गणपत	11-07-08
29.	श्री च्यवन प्रसाद/बिम्बाधा	11-07-08
30.	श्री जीवनाथ/परदेशी	02-08-08
31.	श्रीमती धनमति/मिठु	19-08-08
32.	श्री भागीरथी/लखमू	25-08-08

(1)	(2)	(3)
33.	श्रीमती नीलम कोडपी	26-08-08
34.	श्री मोहन सिंह धाकड़	26-08-08
35.	श्रीमती हिरामणी	26-08-08
36.	श्री मोसू/मांहगु	08-09-08
37.	श्री महादेव	15-09-08
38.	श्रीमती लक्ष्मी कच्छ	11-11-08
39.	श्री प्रभास कुमार बुध	11-11-08
40.	श्री लखपति/बोडक्रा	19-11-08
41.	श्रीमती लछनी	28-11-08
42.	श्री कार्तिक/सुदरू	28-11-08
43.	श्री लखुराम/गुण्डाराम	28-11-08
44.	श्री दुर्गाप्रसाद/दुलबो	28-11-08
45.	श्री बद्रीनाथ/शकुनी	28-11-08
46.	श्री चन्द्रभान/जयसिंह	02-12-08
47.	श्री मनोज/मुकुद	03-12-08
48.	श्री गुलाब सिंह धाकड	12-12-08
49.	श्री हिमांचल/मुरली	15-12-08
50.	श्री टेढीराम/मंगलू	22-01-09
51.	श्री बोरगु/धनपत	22-01-09
52.	श्री सुंदर/सुकलो	22-01-09
53.	श्री आयतु/मोटा	22-01-09
54.	श्री बंधुराम/सुकरू	22-01-09
55.	श्री केदारनाथ/हरिहर	22-01-09
56.	श्रीमती फगनी/बालसिंग	22-01-09
57.	श्रीमती बुधरी/माटा	30-01-09
58.	श्री अमर सिंह/रामसाय	23-03-09
59.	श्री पदम सिंह ठाकुर	24-03-09
60.	श्री साकरू राम/लखमू राम	24-03-09
61.	श्री कृष्ण कुमार/पूरन सिंह	ऑन लाईन
62.	श्री अशोक मेश्राम/बाबु	ऑन लाईन
63.	श्री हीराराम/कचरा	ऑन लाईन
64.	श्री पदम/महादेव	ऑन लाईन
65.	श्री टीकाराम/मनचीन	ऑन लाईन
66.	श्री श्याम सिंह/मधुसुदन	ऑन लाईन
67.	श्री भजन/गागरा	ऑन लाईन
68.	श्री बंगालु राम	ऑन लाईन
69.	श्री अंनतु राम/मानसिंह	ऑन लाईन
70.	श्रीमती पुरसोति/लेबो	ऑन लाईन

(1)	(2)	(3)
	वर्ष 2009-10	
71.	श्री शिबो/मिठु	20-04-09
72.	श्री टाडी/धरमु	20-04-09
73.	श्री बोटीराम/अरकित	20-04-09
74.	श्री रतन राम/रघुनाथ	22-04-09
75.	श्री रतन सिंह/अर्जुन	22-04-09
76.	श्री गदरू राम/मसुराम	22-04-09
77.	श्रीमति बासुमति/गंगाराम	22-04-09
78.	श्रीमति कृष्णा देवी	22-04-09
79.	श्री हरदास/कोदू	22-04-09
80.	श्रीमति चंपा बाई	22-04-09
81.	श्री बोडका/सोनाधर	27-04-09
82.	श्री चैतन/लक्ष्मी नाथ	04-05-09
83.	श्रीमति सुप्रिया श्रीवास्तव	17-06-09
84.	श्री विकास श्रीवास्तव	17-06-09
85.	श्री चम्पकलाल चांडक	27-07-09
86.	श्री अंजना गुडिया	02-08-09
87.	श्रीमति कारीबाई	02-08-09
88.	श्री भादुराम/पुरन	02-08-09
89.	श्री बली राम/सोनसिंह	03-08-09
90.	श्री नेत्रपाल सिंह	11-08-09
91.	श्रीमति सोनमति ठाकुर	24-08-09
92.	श्री बुधु/बेहा	31-08-09
93.	श्री फततेराम/खतकुडी	31-08-09
94.	श्रीमति बुधरी/कुग	31-08-09
95.	श्री बुटलू/सुकलधर	31-08-09
96.	श्री बलीराम/सोनसिंह	31-08-09
97.	श्री साई राम/लखमु	07-09-09
98.	श्रीमति कारीबाई	07-09-09
99.	श्री लक्ष्मीनाथ पानीग्राही	07-09-09
100.	श्री बलराम मांझी	13-10-09
101.	श्री मंगलुराम/सुदु	21-10-09
102.	श्री जगतुराम/भदर	13-11-09
103.	श्री पदम पैगढ/बोडका	13-11-09
104.	श्री मोरकी/गांधी	13-11-09
105.	श्री जपमनसिंह ठाकुर	13-11-09
106.	श्री महेश राम ठाकुर	13-11-09

(1)	(2)	(3)
107.	श्री लखेश्वर/चंदन	13-11-09
108.	श्री मुंगरा राम बघेल	13-11-09
109.	श्री सुकोराम/पांडूराम	13-11-09
110.	श्रीमति सोनाई/कन्हाई	10-12-09
111.	श्रीमति रूपाय/स्व. श्री कमलू	10-12-09
112.	श्री राम/सोनाधर	10-12-09
113.	श्री अनिल नाग	10-12-09
114.	श्री मोसूराम/सोमारू	11-01-10
115.	श्री लुदुराम/देउराम	11-01-10
116.	श्री दिनेश बघेल	11-01-10
117.	श्री इंदर/बोंगू	30-01-10
118.	श्री बैदुराम कश्यप	31-03-10
119.	श्री धरम सिंग/सुकलो	ऑन लाईन
120.	श्री झाडूराम/लक्ष्मीनाथ	ऑन लाईन
121.	श्री काशीनाथ/तालीराम	ऑन लाईन
122.	श्री धनूर्जय पानीग्राही	ऑन लाईन
123.	श्रीमति कुंती बाई	ऑन लाईन
124.	श्री पी. आर. कश्यप	ऑन लाईन
125.	श्री कार्तिक/महादेव	ऑन लाईन
	वर्ष 2010-11 (दिनांक 31-01-2011 तक)	
126.	श्री दीनूराम/बोण्डका	16-04-10
127.	श्री सोमारूराम	ऑन लाईन
128.	श्री सुखदेवराम	ऑन लाईन
129.	श्री मेघनाथ मुरिया	ऑन लाईन
130.	श्री लखमु/बोडी	ऑन लाईन

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1650) के भाग (क) की जानकारी]

एकीकृत आदिमजाति विकास परियोजना गरियाबंद, जिला-रायपुर अंतर्गत एन. जी. ओ. को दिये कार्य एवं राशि का वर्षवार विवरण

वर्ष	स्व.सहायता समूह / एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2		3	4
08–09	वाटिका समाज सेवी संस्था केशकाल	1	सायकिल रिपेयरिंग प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता	12.00
		2	कौशल विकास हेतु राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम	5.22
		3	लाख उत्पादन सह विकास योजना	3.86
		4	परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत लाख उत्पादन कार्य	10.00
		5	हस्त शिल्पियों का प्रशिक्षण एवं औजार अनुदान	3.51
		6	खाद, बीज कीटनाशक एवं कृषि उपकरण का वितरण	0.50
		7	बाड़ी विकास योजना	0.37
		8	मधुमक्खी पालन	0.50
		9	वर्मी कम्पोस्ट विकास कार्यकम	1.00
			योग (9 कार्य)	**36.96**
	आकार फाउन्डेशन शारदा चौक गरियाबंद	1	अ.ज.जा. वर्ग के युवक युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक वर्षीय)	8.00
			योग(1 कार्य)	**8.00**
	मेसर्स, एस.के. ट्रेडर्स, परसुराम नगर माइनिंग आफिस के पीछे रायपुर	1	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को ईट व्यवसाय हेतु सहायता	1.25
		2	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु सेन्टरिंग प्लेट हेतु सहायता	1.00
			योग (2 कार्य)	**2.25**
	अध्यक्ष अश्व समग्र सामाजिक एवं मानव कल्याण संगठन आड़ावाल जगदलपुर	1	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यकम	6.00
		2	हस्त शिल्पियों का प्रशिक्षण / औजार अनुदान	2.00
		3	हस्त शिल्प (बांस) निर्माण प्रशिक्षण कार्यकम (20 हितग्राहियों की एक इकाई)	3.00
		4	राज मिस्त्री का प्रशिक्षण कार्यकम (20 प्रशिक्षाणार्थियों की एक इकाई)	4.00
		5	सिलाई तकनीकी प्रशिक्षण कार्यकम (10 हितग्राहियों की एक इकाई)	5.00

वर्ष	स्व.सहायता समूह / एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
08–09	अध्यक्ष अश्व समग्र सामाजिक एवं मानव कल्याण संगठन आड़ावाल जगदलपुर	6	सायकल प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 हितग्राहियों की एक इकाई)	4.00
		7	आचार, पापड़, बड़ी निर्माण प्रशिक्षण (25 प्रशिक्षाणार्थियों की एक इकाई)	3.00
		8	दोना पत्तल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मशीन सहित (10 हितग्राहियों की एक इकाई)	5.00
		9	बर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं यूनिट का निर्माण	6.00
		10	अनु.जा.वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को उन्नत प्रजाति के सब्जी बीज एवं बाड़ी विकास कार्यक्रम	3.00
			योग (10 कार्य)	41.00
	स्वयं सेवी संस्था उपवन महिला एवं बाल विकास समिति रायपुर	1	कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (राज मिस्त्री प्रशिक्षण)	5.00
		2	माइक्रो मैनेजमेंन्ट वर्किंग प्लान (धानबीज, गन्ना फसल हेतु बीज एवं उर्वरक हेतु अनुदान)	2.00
		3	कृषि यंत्रों पर अनुदान	2.00
		4	लघु वनोपज/औषधि रोपण	1.30
		5	लघु वनोपज कार्य हेतु अनुदान	1.30
			योग (5 कार्य)	11.60
	मां शारदा लोक कला मंच जगदलपुर	1	अनूसचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.00
		2	अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों सेन्ट्रींग प्लेट हेतु सहायता	1.00
		3	अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों ईंट व्यवसाय हेतु सहायता	1.25
			योग (3 कार्य)	4.25
	स्पेशल एजुकेशन एवं वेलफेयर एशोसियेशन रायपुर	1	अ.ज.जा. वर्ग के हितग्राहियों को आचार, पापड़, बड़ी निर्माण प्रशिक्षण (25 प्रशिक्षाणार्थियों की एक इकाई)	1.50
		2	अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को उन्नत प्रजाति के सब्जी बीज एवं बाड़ी विकास कार्यक्रम	3.00
		3	दोना पत्तल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मशीन सहित (10 हितग्राहियों की एक इकाई)	2.50

वर्ष	स्व.सहायता समूह/ एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
	स्पेशल एजुकेशन एवं वेलफेयर एशोसियेशन रायपुर	4	बर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं यूनिट का निर्माण	3.00
		5	अ.ज.जा. वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों को जैविक खाद, कीटनाशक दवाई एवं माइक्रोन्यट्रेट कीट प्रदाय	2.64
			योग (5 कार्य)	12.64
	संगवारी समाज सेवी संस्था महासमुंद	1	लाख उत्पादन सह विकास योजना	1.92
			योग (1 कार्य)	1.92
	एस.के. ट्रेडर्स, जगदलपुर	1	अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापना अंतर्गत सेन्ट्ररिंग प्लेट हेतु सहायता	1.00
		2	अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को ईट व्यवसाय हेतु सहायता	1.25
			योग (2 कार्य)	2.25
वर्ष 08–09 में कुल 38 कार्यों में राशि का योग				120.87
09–10	आकार फाउन्डेशन शारदा चौक गरियाबंद	1	अ.ज.जा. वर्ग के युवक युवतियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक वर्षीय)	3.00
			योग (/ कार्य)	3.00
	अध्यक्ष, यू.आई.सी.टी. सरगुजा	1	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	6.00
			योग (1 कार्य)	6.00
	मानव उत्थान शिक्षा संस्थान जगदलपुर	1	रस्सी निर्माण, टाटपट्टी निर्माण कार्यक्रम	3.00
		2	लाख विकास योजना	6.20
		3	दोना पत्तल निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम मशीन सहित	6.00
		4	बांस बर्तन निर्माण / बांस शिल्प प्रशिक्षण एवं औजार प्रदाय हेतु सहायता एवं चटाई निर्माण	5.50
		5	सिलाई कढाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला	2.00
		6	सायकल मरम्मत प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		7	ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		8	किराया भण्डार एवं लाऊडस्पीकर हेतु सहायता	3.00
		9	स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सेन्ट्रींग प्लेट हेतु सहायता	9.00
		10	लघु सिंचाई शकम्भरी योजना	1.80
		11	लो लिफ्ट पंप प्रदाय	0.80
			योग (11 कार्य)	43.30

वर्ष	स्व.सहायता समूह / एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
09–10	अध्यक्ष विकास समाज सेवी संस्था नवागढ़	1	सीमेंट पोल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	3.00
		2	कुक्कुट पालन	0.36
		3	सुकर वितरण	0.88
		4	बकरी पालन	0.65
		5	लघु सिंचाई शकम्भरी योजना	1.80
		6	लो लिफ्ट पंप प्रदाय	0.80
			योग (06 कार्य)	**7.49**
	संगवारी समाज सेवी संस्था महासमुंद	1	सीमेंट पोल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	5.55
			योग (01 कार्य)	**5.55**
	सीडो ग्रामीण विकास संस्था रायपुर	1	कुक्कुट पालन	0.72
		2	सुकर वितरण	1.54
		3	बकरी पालन	1.17
		4	लघु सिंचाई शकम्भरी योजना	1.80
		5	लो लिफ्ट पंप प्रदाय	0.80
			योग (05 कार्य)	**6.03**
	आकांक्षा एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी डोगरगढ़	1	सिलाई कढाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला	4.00
			योग (01 कार्य)	**4.00**
	वर्ष 09–10 में कुल 26 कार्यों में राशि का योग			**75.37**
10–11	आकार फाउन्डेशन शारदा चौक गरियाबंद	1	कौशल विकास–कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.00
			योग (01 कार्य)	**3.00**
	अध्यक्ष यू.आई.सी.टी. सरगुजा	1	कौशल विकास–कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	6.00
			योग (01 कार्य)	**6.00**
	अध्यक्ष विकास समाज सेवी संस्था नवागढ़	1	मोटर ड्रायविंग / मैकेनिक प्रशिक्षण	1.00
		2	जे.सी.बी. मशीन ड्रायविंग, मैकेनिक	0.90
		3	विद्युत वाईंडिंग प्रशिक्षण एवं मरम्मत	1.00
			योग (03 कार्य)	**2.90**
	छ.ग.अवेयरनेस वेलफेयर सोसायटी नयापारा जगदलपुर	1	मुधमक्खी पालन कार्यकम	4.00
		2	दोना पत्तल प्रशिक्षण एवं मशीन	5.00
		3	बांस बर्तन निर्माण / बांस शिल्प-पशिक्षण एवं औजार प्रदाय हेतु सहायता एवं चटाई निर्माण	5.00
		4	फ्लाई एश ईट निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		5	मोमबत्ती निर्माण प्रशिक्षण सहायता	3.00

वर्ष	स्व.सहायता समूह / एन.जी.ओ.का नाम व पता		स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
10–11	छ.ग.अवेयरनेस वेलफेयर सोसायटी नयापारा जगदलपुर	6	सिलाई कढाई प्रशिक्षण एवं मरवाही कला	7.00
		7	सायकल मरम्मत प्रशिक्षण एवं सहायता	3.00
		8	मोटर ड्रायविंग / मैकिनिक प्रशिक्षण	2.00
		9	जे.सी.बी मशीन ड्रायविंग, मैकेनिक	2.10
		10	विद्युत वाईड़िंग प्रशिक्षण एवं मरम्मत	2.08
			योग (10 कार्य)	36.18
वर्ष 10–11 में कुल 15 कार्यों में राशि का योग				48.080
			महायोग	244.32

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1977) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला परियोजना समन्वयक, विकासखंड समन्वयकों एवं ग्राम प्रेरक के पदों हेतु योग्यताएं :–

1. जिला परियोजना समन्वयक (संपूर्ण स्वच्छता अभियान/Quality Assurance)

अर्हताएं :–

1. सिविल इंजीनियरिंग विषय में किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा उत्तीर्ण.
2. जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष कार्य करने का अनुभव.
3. कम्प्यूटर का आवश्यक ज्ञान जैसे– एम.एस. आफिस, एक्सेल एवं नेट परिचालन.
4. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता.
5. सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता.
6. यह पद पूर्णत: अस्थायी है. अनुबंध 11 माह का किया जावेगा.

आयु सीमा :– 21 से 35 वर्ष

2. जिला परियोजना समन्वयक (शालेय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा SSHE)

योग्यताएं :–

1. एम.एस.डब्ल्यू/एम.ए. समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण.
2. जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव.
3. कम्प्यूटर का आवश्यक ज्ञान जैसे– एम.एस. आफिस, एक्सेल एवं नेट परिचालन.
4. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता.
5. सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता.
6. यह पद पूर्णत: अस्थायी है. अनुबंध 11 माह का किया जावेगा.

आयु सीमा :– 21 से 35 वर्ष

3. जिला योजना समन्वयक (सामाजिक गतिशीलता Social Moblization)

अर्हताएं :–

1. एम.एस.डब्ल्यू/एम.ए. समाज शास्त्र/सामाजिक विज्ञान विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण.
2. जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव.
3. कम्प्यूटर का आवश्यक ज्ञान जैसे– एम.एस. आफिस, एक्सेल एवं नेट परिचालन.
4. हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कार्य करने की क्षमता.
5. सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में समुदाय के साथ कार्य करने की क्षमता.
6. यह पद पूर्णत: अस्थायी है. अनुबंध 11 माह का किया जावेगा.

आयु सीमा :– 21 से 35 वर्ष

जिला समन्वयक सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की निगरानी में कार्य संपादन करेगा. जिला स्तर पर गठित जिला सी.सी.डी.यू. सेल क्षेत्रीय सी.सी.डी.यू. से समय-समय पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देशों का पालन करेगा.

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 538) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	कम्पनी	लागत (इकाईयों द्वारा दी गई जानकारी अनुसार)	क्षमता (मेगावाट में)	स्थल	अनुमति दिनांक
1.	मेसर्स सिंघल फॉरेस्ट्री प्रा. लिमिटेड, रायपुर	3859 लाख	02	ग्राम-दर्राभाठा एवं बैतारी, तहसील-सरायपाली जिला महासमुन्द.	17-09-2010
2.	मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड, रायपुर	2900 लाख	02	ग्राम-खरोरा, जिला-रायपुर.	17-09-2010